गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 23.05.2023 (पूर्व दिनांक 07.05.2023 को स्थगित बैठक)
समय : प्रातः 11:00 बजे
स्थान : अतिथि गृह (सीनेट हॉल), गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 सोमदेव शतांशु, कुलपति–अध्यक्ष
2. डॉ0 नैपाल सिंह तोमर, मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद्–सदस्य
3. प्रो0 रेणु शुक्ला, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून–सदस्या
4. प्रो0 अम्बुज कुमार शर्मा, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष–सदस्य
5. प्रो0 प्रभात कुमार, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष–सदस्य
6. प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रोफेसर–सदस्य
7. डॉ0 राज कुमार, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर–सदस्य
8. प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, वित्ताधिकारी–विशेष आमंत्रित सदस्य
9. प्रो0 सुनील कुमार–कुलसचिव/संयोजक

ईश वन्दना के साथ प्रबन्ध मण्डल की बैठक आरम्भ हुई तथा कुलसचिव द्वारा सभी मान्य सदस्यों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि *समविश्वविद्यालय के सभी कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार ही किये जाने चाहिए।*

प्रस्ताव संख्या 01

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में नये सदस्यों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में प्रो0 प्रभात कुमार, वरिष्ठ प्रोफेसर के रुप में प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा तथा वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर के रुप में डॉ0 राज कुमार को मान्य कुलपति जी के आदेशानुसार नामित किया गया है। प्रो0 प्रभात कुमार का कार्यकाल दिनांक 22.05.2023 से अग्रिम आदेश तक एवं प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा का कार्यकाल दिनांक 10.03.2023 से अग्रिम आदेश तक तथा डॉ0 राज कुमार का कार्यकाल दिनांक 03.03.2023 से 04.03.2025 तक (दो वर्ष) अथवा एसोसिएट प्रोफेसर के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) के लिये सदस्य नामित किया है।

सदन में सभी नये सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 02

समविश्वविद्यालय में दिनांक 13.02.2023 को हुई शिक्षा पटल की बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में दिनांक 13.02.2023 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षा पटल की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही मान्य सदस्यों के अंकन हेतु तथा इस

शिक्षा पटल के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 (समविश्वविद्यालय में परीक्षा पारिश्रमिक पूर्व की भांति लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से सम्पुष्ट हुआ) प्रस्तुत है।

समविश्वविद्यालय में दिनांक 13.02.2023 को हुई शिक्षा पटल की बैठक की कार्यवाही का अंकन किया गया तथा शिक्षा पटल की उक्त बैठक के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 पर प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया इस सम्बन्ध में वित्ताधिकारी द्वारा शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का पूर्ण विवरण रखा गया। डॉ0 राजकुमार द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि छात्रों/छात्राओं से परीक्षा मद में लिये जाने वाले धनराशी रु.35,00,000 में से परीक्षा कर्मियों को भुगतान किया जा सकता है। विचारोपरान्त शिक्षा पटल के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 (समविश्वविद्यालय में परीक्षा पारिश्रमिक पूर्व की भांति लागू किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षा शुल्क मद से धन की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा पारिश्रमिक देना सुनिश्चित किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 03

समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) के प्रतिनिधि के रुप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय के एम0ओ0यू0 के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रुप में 02 सदस्यों को नामित किया जाता है। जिसमें से 01 सदस्य प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों में से तथा 01 अन्य वाह्य सदस्य को नामित किया जाता है। पूर्व में समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) के प्रतिनिधि के रुप में नामित वाह्य सदस्य श्री कीर्ति शर्मा एवं प्रबन्ध मण्डल में से नामित सदस्य श्री प्रेम भारद्वाज जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

अतः समविश्वविद्यालय के एम0ओ0यू0 के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रुप में एक वाह्य तथा एक सदस्य प्रबन्ध मण्डल से वित्त समिति हेतु नामित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

समविश्वविद्यालय के एम0ओ0यू0 के अनुसार समविश्वविद्यालय की वित्त समिति (Finance Committee) में प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) द्वारा प्रतिनिधि के रुप में निम्न 02 सदस्यों को नामित किया गया है।

1. **डॉ0 अम्बुज कुमार शर्मा– प्रबन्ध मण्डल से नामित सदस्य के रूप में।**
2. **डॉ0 सिद्वार्थ शंकर त्रिपाठी–वित्ताधिकारी, माँ शाकुम्बरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, प्रबन्ध मण्डल से नामित वाह्य सदस्य के रूप में।**

प्रबन्ध मण्डल के अन्य सदस्यों द्वारा निर्णय का स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 04

समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 के Rules of the Vishwavidyalaya के बिन्दु 5.5 सरकुलेशन के आधार पर पारित प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में दिनांक 28.03.2023 एवं दिनांक 13.04.2023 को अत्यन्त आवश्यक कार्यों हेतु सम्बन्धित प्रस्ताव को प्रबन्ध–मण्डल के सदस्यों में सरकुलेशन के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. समविश्वविद्यालय में दिनांक 30.03.2023 को आयोजित हुए 113वें दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में पधारे माननीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार को समविश्वविद्यालय की सर्वोच्य उपाधि विद्यामार्तण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28.03.2023 का समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 के Rules of the Vishwavidyalaya के बिन्दु 5.5 सरकुलेशन के आधार पर प्रबन्ध–मण्डल के मान्य सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त की गयी।
2. समविश्वविद्यालय में जल की आपूर्ति हेतु स्थापित टैंक तथा जल वितरण की पाईप लाईन अत्यधिक पुरानी होने के कारण समविश्वविद्यालय में शुद्ध पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ओवर हैड टैंक बनाये जाने तथा नई जल वितरण पाईप लाईन डालने हेतु के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2023 को

समविश्वविद्यालय के एम0ओ0ए0 के Rules of the Vishwavidyalaya के बिन्दु 5.5 सरकुलेशन के आधार पर पर प्रबन्ध–मण्डल के मान्य सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त की गयी।

समविश्वविद्यालय में दिनांक 30.03.2023 को आयोजित हुए 113वें दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में पधारे माननीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार को समविश्वविद्यालय की सर्वोच्य उपाधि विद्यामार्तण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यामार्तण्ड की उपाधि नही दी गयी। अतः सर्वसम्मति से इस उपाधि को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

समविश्वविद्यालय में जल की आपूर्ति हेतु स्थापित टैंक तथा जल वितरण की पाईप लाईन अत्यधिक पुरानी होने के कारण समविश्वविद्यालय में शुद्ध पेयजल की आवश्यकता को देखते हुए विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत ओवर हैड टैंक बनाये जाने तथा नई जल वितरण पाईप लाईन डालने की स्वीकृति के सम्बन्ध में सपोन्सरिंग सोसाइटी द्वारा दिनांक 29.04.2023 को प्रेषित पत्र में सहमति प्रदान कर दी गई है तथा डॉ0 राज कुमार द्वारा पूर्व में दी गयी अहसमति को भी वापस ले लिया गया है। सदन द्वारा सर्वसम्मति से सरकुलेशन के द्वारा प्रेषित उपरोक्त दोनों प्रस्तावों की स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 05

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 09.01.2022 के प्रस्ताव संख्या 03 अनुसार समविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 09.01.2022 के प्रस्ताव संख्या 03 के निर्णयानुसार समवविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बनाये जाने हेतु प्रो0 वी0के0 सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

1. सभी ग्रुप "बी" एवं "सी" (वेतन लेवल 01 से 09 तक) के सभी कर्मचारी शुल्क में छूट हेतु पात्र होगें।
2. उक्त छूट दो बच्चों हेतु ही लागू होगी।
3. शुल्क में छूट सम्बन्धित पाठ्यक्रम के शिक्षण शुल्क हेतु लागू राशि के बराबर होगी। उक्त छूट समविश्वविद्यालय में सेवाकाल के दौरान ही देय होगी।
4. शेष बिन्दु समिति द्वारा प्रस्तावित संस्तुति के अनुसार रहेगी।

उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर डॉ0 राजकुमार ने कहा कि स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट का लाभ शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि सरकार द्वारा भी कोटा खत्म कर दिया गया है। अतः शुल्क में छूट को लागू नहीं किया जाना चाहिए। सभी को विश्वविद्यालय के हित में एवं आमदनी बढाऐ जाने के सम्बन्ध में कार्य करने चाहिए। स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में पुनः समिति का गठन कर रिपोर्ट को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 06

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के लिये कन्सलटेन्सी (Consultancy) हेतु बनाये गये नियम को लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कन्सलटेन्सी के अन्तर्गत शोध कार्यों को कराये जाने हेतु कन्सलटेन्सी नियम (Consultancy Rules) को बनाने के सम्बन्ध में प्रो0 पंकज मदान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 08.11.2021 को अपनी संस्तुति प्रस्तुत की गयी है। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति में लाभ के हिस्से (Profit Sharing) के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय का हिस्सा 20 प्रतिशत रखा गया है, जबकि समविश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त लाभ के हिस्से को 30 प्रतिशत स्वीकार किया गया है। अतः समविश्वविद्यालय के लाभ के हिस्से को 30 प्रतिशत तथा सम्बन्धित शिक्षक के हिस्से को 80 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत किया जाता है। अन्य कन्सलटेन्सी नियम यथावत् है। अतः उपर्युक्त कन्सलटेन्सी नियम (Consultancy Rules) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कन्सलटेन्सी के अन्तर्गत शोध कार्यों को कराये जाने हेतु कन्सलटेन्सी नियम (**Consultancy Rules**) के सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने जानना चाहा कि सम्बन्धित कन्सलटेन्सी विश्वविद्यालय अथवा व्यक्तिगत स्तर में किस स्तर की है। इस सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित कन्सलटेन्सी व्यक्तिगत स्तर की होती है परन्तु उपकरण, विद्युत एवं अन्य सामाग्री का उपयोग समविश्वविद्यालय से सम्बन्धित है तथा नैक में भी कन्सलटेन्सी के अंक सम्मिलित है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण कन्सलटेन्सी की राशि में से समविश्वविद्यालय का हिस्सा 30 प्रतिशत तथा शेष 70 प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित शिक्षक (जिसमें उपकरण, विद्युत व्यय, केमिकल, कच्चा सामान इत्यादि का व्यय भी सम्मिलित है) को देय होगा। इस सम्बन्ध में संम्बन्धित शिक्षक द्वारा कन्सलटेन्सी के आय/व्यय का पूर्ण विवरण रखा जाएगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 07

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में लैब टैक्नीशियन पद पर कार्यरत श्री विकास कुमार देशवाल को Assistant Workshop Superintendent पदनाम दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में लैब टैक्नीशियन पद पर कार्यरत श्री विकास कुमार देशवाल, जो बी0टैक योग्यताधारक है, ने दिनांक 11.06.2021 को उचित माध्यम से प्रेषित पत्र जिसमें इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि यदि उनका पदनाम लैब टैक्नीशियन पदनाम से Assistant Workshop Superintendent पदनाम में परिवर्तित होता है तो उनके द्वारा भविष्य में कभी भी उक्त परिवर्तित पदनाम का वेतनमान एवं पदोन्नति की मांग/दावा नही करेगा। यह भी उल्लेख है कि समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत Assistant Workshop Superintendent पद सर्वोच्च प्राधिकरण से स्वीकृत नही है। चूंकि पदनाम परिवर्तन से वेतन में कोई भी अन्तर नही होगा। अतः उपर्युक्त के आलोक में श्री विकास कुमार देशवाल को लैब टैक्नीशियन पदनाम से Assistant Workshop Superintendent पदनाम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर **प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा ने कहा कि स्वावित्तपोषित में कई अन्य कर्मचारियों के प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए है तथा भविष्य में भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो सकते है अतः इस हेतु एक समिति का गठन किया जाये जोकि उपरोक्त एवं इस प्रकार के अन्य कर्मचारियों के विषय में विस्तृत पदों के अनुसार जानकारी प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट/संस्तुति प्रस्तुत करेंगी, ताकि बार–बार इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।**

विचारोपरान्त बैठक में समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गयाः–

1 प्रो0 रेणु शुक्ला, कोर्डिनेटर कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून– अध्यक्षा
2 प्रो0 विवेक कुमार, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग– सदस्य/संयोजक

सदन द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्या न आये।

प्रस्ताव संख्या 08

समविश्वविद्यालय में NISP प्रोग्राम के अन्तर्गत Innovation Startup Policy बनाये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।

शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F.No.1-1/2021(Secy) दिनांकित 20.05.2021 के निर्देशानुसार समविश्वविद्यालय में NISP प्रोग्राम के अन्तर्गत Innovation Startup Policy बनाये जाने हेतु प्रो0 विवेक कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रेषित की है। अतः समिति द्वारा Innovation Startup Policy हेतु तैयार किये गये नियमों स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F.No.1-1/2021(Secy) दिनांकित 20.05.2021 के निर्देशानुसार समविश्वविद्यालय में NISP प्रोग्राम के अन्तर्गत Innovation Startup Policy बनाये जाने हेतु प्रो0 विवेक कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति

प्रेषित की है। समिति द्वारा Innovation Startup Policy हेतु तैयार किये गये नियमों को **सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 09

समविश्वविद्यालय में शिक्षक पदों पर आवेदक अभ्यर्थियों के निजी संस्थाओं में किये गये शिक्षण कार्य को केवल अनुभव को मान्य किये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में समय–समय पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर आवेदित अभ्यर्थियों द्वारा अनुभव के रुप में निजी संस्थाओं की सेवाओं का अनुभव का उल्लेख किया जाता है। चूंकि निजी संस्थाओं से कभी–कभी अच्छे शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवदेन करते है, परन्तु अनुभव निजी संस्थाओं का होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिये जाते है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि अच्छे शैक्षिक योग्यताधारक अभ्यर्थियों के द्वारा निजी संस्थाओं में की गयी सेवाओं को यू0जी0सी0 रेगुलेशन के नियमों के आलोक में कार्यवाही किया जाना श्रेष्यकर होगा।

कुछ अभ्यर्थियों का शैक्षिणक अनुभव निजी संस्थाओं का होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह तोमर एवं डॉ0 अम्बुज कुमार शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि निजी संस्थाओं के अनुभव वाले अभ्यर्थियों के द्वारा निजी संस्थाओं में की गयी सेवाऐं यदि यू0जी0सी0 रेगुलेशन के नियमों के अनुरुप है तो उनको मान्य किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पूर्व में हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में निजी संस्थाओं में किए गए शैक्षणिक कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में नियम बनाए गए है।

डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि पूर्व में जो भी इस सम्बन्ध नियम बनाए गए है उन्हें समाप्त कर दिए जाने चाहिए क्योंकि समविश्वविद्यालय यू0जी0सी0 शत–प्रतिशत अनुदानित है अतः शिक्षकों के नियुक्ति प्रकिया, प्रमोशन, वेतन, योग्यता, पात्रता मापदण्ड, पूर्व सेवाओं को जोड़ने, अवकाशों इत्यादि के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 रेगुलेशन के नियमों के अनुरुप ही कार्य सम्पन्न किए जाने चाहिए।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में निजी संस्थाओं में किए गए शैक्षणिक कार्य के अनुभव के सम्बन्ध में जो नियम बनाए गए हैं उन्हें समाप्त कर यू0जी0सी0 रेगुलेशन के नियमों के अनुरुप ही कार्य सम्पन्न किए जाऐं।

प्रस्ताव संख्या 10

डॉ0 हरीश चन्द्र, डॉ0 आरती भारद्वाज एवं डॉ0 निशान्त राय के निजी सेवा के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में पूर्व में चयनित डॉ0 हरीश चन्द्र, डॉ0 आरती भारद्वाज एवं डॉ0 निशान्त राय के नियुक्ति प्रकरण के सम्बन्ध में इनके द्वारा जो निजी शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं के अनुभव के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 (6) में सर्वसम्मति से निजी शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने हेतु 09 बिन्दुओं के अनुसार लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त तीनों अभ्यर्थियों को प्रपत्र पूर्ण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रेषित किये गये पत्र के आलोक में डॉ0 हरीश चन्द्र, डॉ0 आरती भारद्वाज एवं डॉ0 निशान्त राय द्वारा प्रेषित किये गये प्रपत्रों के सम्बन्ध में प्रो0 एम0आर0 वर्मा की अध्यक्षता में गठन किया गया था। समिति द्वारा दिनांक 03.01.2022 को प्रेषित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। अतः उपरोक्त समिति की रिर्पोट के आलोक में प्रस्ताव विचारार्थ एवं यू0जी0सी0 के नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत है।

समविश्वविद्यालय में डॉ0 आरती भारद्वाज, डॉ0 निशान्त राय तथा डॉ0 हरीश चन्द्र, प्रोफेसर (एस0सी0) के नियुक्ति प्रकरण के सम्बन्ध में इनके द्वारा की गयी निजी शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं के अनुभव के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक समिति का गठन किया जाये जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार इनके अनुभव सम्बन्धी समस्त प्रपत्रों को जांच कर नियुक्ति पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति मान्य कुलपति जी को प्रस्तुत करेगी तथा तत्पश्चात मान्य कुलपति जी द्वारा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जाऐगा।

प्रस्ताव संख्या 11

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर वर्ग के पदों पर हुए साक्षात्कार के लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर वर्ग के पदों हेतु साक्षात्कार के लिये विज्ञापन के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्क्रीनिंग

किये जाने के उपरान्त् दिनांक 08.06.2022, 20.06.2022 से 01.07.2022 तक तथा दिनांक 22.08.2022 से 31.08.2022 तक चयन समिति के माध्यम से शिक्षकों/शिक्षिकाओं तथा शिक्षकेत्तर वर्ग में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	विषय	सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार की तिथि
1.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	08.06.2022
2.	रसायन विज्ञान	20.06.2022 एवं 21.06.2022
3.	सूक्ष्मजीव विज्ञान	22.06.2022
4.	गणित एवं सांख्यिकी	23.06.2022
5.	कम्प्यूटर विज्ञान	24.06.2022 एवं 25.06.2022
6.	भौतिकी विज्ञान	28.06.2022 से 01.07.2022 तक
7.	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	22.08.2022
8.	भेषज विज्ञान (स्ववित्त पोषित)	23.08.2022
9.	वेद	24.08.2022 एवं 25.08.2022
10.	योग विज्ञान	26.08.2022 एवं 27.08.2022
11.	आजीवन शिक्षा	29.08.2022
12.	पुस्तकालयाध्यक्ष	31.08.2022
13.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	31.08.2022

अतः उक्त साक्षात्कारों से सम्बन्धित लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 06.01.2023 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया था कि साक्षात्कारों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु समिति का गठन किया जाये तथा समिति की रिपोर्ट को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त के आलोक में समिति की संस्तुति बैठक में प्रस्तुत है।

- **साक्षात्कारों से सम्बन्धित लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में निम्न समिति का गठन किया जाये जो अपनी रिपोर्ट/संस्तुति तीन सप्ताह के अन्दर मान्य कुलपति जी को प्रस्तुत करेगी। बैठक में समिति का गठन निम्न प्रकार से स्वीकार किया गया है:–**

1. प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा–अध्यक्ष

2. डॉ0 खेमराज भटट्, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय–सदस्य

3. कुलपति जी द्वारा नामित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सेवानिवृत्त अधिकारी–सदस्य

गत प्रबन्ध मण्डल की निर्णयानुसार समविश्वविद्यालय में CAS प्रोन्नति के अन्तर्गत समस्त प्रोन्नत शिक्षकों/शिक्षिकाओं को प्रोन्नति सम्बधित पत्र जारी कर दिये गये है। CAS प्रोन्नति के अन्तर्गत जन्तु एवं पर्यारवण विज्ञान विभाग के तीन शिक्षकों (डॉ0 राकेश भुटियानी, डॉ0 नितिन काम्बोज एवं डॉ0 संगीता मदान) की पत्रावली पर तत्कालीन कुलपति के द्वारा अन्य पत्रावलियों पर किये गये अंकन "पत्रावली को अपनी कस्टडी में सुरक्षित रख लें तथा BoM की आगामी बैठक में Approval हेतु प्रस्तुत करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही यथा नियम करें" का उल्लेख नही किया गया है।

उक्त के आलोक में गठित समिति की संस्तुति के आलोक में सम्बन्धित शिक्षकों से शपथ–पत्र लेकर प्रोन्नति पत्र जारी कर दिये गये है।

अतः उपरोक्त प्रोन्नत शिक्षकों (डॉ0 राकेश भुटियानी, डॉ0 नितिन काम्बोज एवं डॉ0 संगीता मदान) के प्रोन्नति को स्वीकृत करने तथा साक्षात्कार के लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

- समविश्वविद्यालय में CAS प्रोन्नति के अन्तर्गत समस्त प्रोन्नत शिक्षकों/शिक्षिकाओं को प्रोन्नति सम्बधित पत्र जारी कर दिये गये है। CAS प्रोन्नति के अन्तर्गत जन्तु एवं पर्यारवण विज्ञान विभाग के तीन शिक्षकों (डॉ0 राकेश भुटियानी, डॉ0 नितिन काम्बोज एवं डॉ0 संगीता मदान) को जारी किये गये प्रोन्नति पत्र का अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद से पदच्युत (Dismiss) किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2023 को श्री शत्रुघ्न झा के द्वारा प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में विचार।

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (स्ववित्त पोषित नियमावली–2020) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में तत्समय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री शत्रुघ्न झा को दिनांक 20.08.2021 से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद से पदच्युत (Dismiss) किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् उल्लेख हैः–

1. श्री शत्रुघ्न झा के द्वारा दिनांक 16.10.2020 को संयुक्त कुलसचिव कार्यालय में श्री देवेन्द्र कुमार (तत्कालीन संयुक्त कुलसचिव) के साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार एवं गाली–गलोज किये जाने तथा धमकी दिये जाने पर श्री शत्रुघ्न झा को दिनांक 01.12.2020 से प्रकरण पर अंतिम जांच होने तक आदेशानुसार निलबंन किया गया था।
2. श्री शत्रुघ्न झा के निलबंन प्रकरण की जांच हेतु आदेशानुसार दिनांक 17.03.2021 को प्रेषित पत्रांक Estt./1811-1817 के अनुसार प्रो0 सुधीर आर्य को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिसमें प्रस्तोता अधिकारी के रुप में डॉ0 श्वेतांक नियुक्त थे।
3. जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2021 को एतदर्थ विषयक जांच प्रकिया पूर्ण कर विस्तृत जांच आख्या विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत जांच आख्या में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं के अनुसारः–

- बिना सूचना के अनुपस्थित रहना।
- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी से बतमीजी से पेश आना वे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करना।
- अपनी उपस्थिति के सन्दर्भ में दिनांक 10.08.2021 तक कोई लिखित प्रार्थना–पत्र प्रेषित न करना।
- जबरदस्ती किसी अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करना, अभद्रता करना, विश्वविद्यालय के कार्यों में बाधा पहुंचाना।
- विश्वविद्यालय अधिकारियों के आदेशों की अनुपालना न करना।
- फर्जी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना, चिकित्सा अवकाश लेकर बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के मुख्यालय त्याग करना।

श्री शत्रुघ्न झा के विरुद्ध Rule 14 CCS (CCA) नियमावली–1965 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी थी।

4. उक्त संस्तुति के आलोक में मान्य कुलपति जी द्वारा श्री शत्रुघ्न झा को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की सेवा से तत्काल प्रभाव से पदच्युत (Dismiss) कर दिया गया था। दिनांक 20.08.2021 को श्री शत्रुघ्न झा को पदच्युत (Dismiss) सम्बन्धित पत्र प्रेषित कर दिया गया था।
5. श्री शत्रुघ्न झा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में अपने पदच्युत (Dismiss) के सम्बध में वाद संख्या 471/2021 (SB) दायर किया गया है।

यह भी उल्लेख है कि सम्बन्धित प्रकरण एवं श्री शत्रुघ्न झा के पदच्युत (Dismiss) से सम्बन्धित प्रस्ताव पूर्व की प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त के आलोक श्री शत्रुघ्न झा के द्वारा अपने पदच्युत (Dismiss) के सम्बन्ध में दिनांक 22.02.2023 को पुनः विचारार्थ हेतु दिये गये प्रत्यावेदन के सन्दर्भ में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री शत्रुघ्न झा के पदच्युत (Dismiss) से सम्बन्धित प्रस्ताव पर प्रो0 अम्बुज कुमार शर्मा एवं प्रो0 प्रभात कुमार ने कहा कि श्री शत्रुघ्न झा के पदच्युत (Dismiss) का विषय पूर्व की प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में प्रस्तुत नही किया गया था। चूंकि पदच्युत (Dismiss) करने की प्रकिया का पूर्णरूप से पालन नही किया गया था। क्योंकि श्री शत्रुघ्न झा को पदच्युत (Dismiss) तत्कालीन कुलपति द्वारा ही किया गया था तथा इनका पद ग्रुप ए का होने के कारण इनको पदच्युत (Dismiss) करने से पूर्व प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में समिति का गठन किया जाना स्वीकार हुआ, जो सम्पूर्ण प्रकरण एवं वित्तीय स्थिति का अवलोकन कर अपनी संस्तुति तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेगी तथा समिति की संस्तुति पर अंतिम निर्णय मान्य कुलपति जी द्वारा लिया जायेगा। बैठक में समिति का गठन निम्न प्रकार से स्वीकार किया गया है:–

1 प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा –अध्यक्ष
2 प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, वित्ताधिकारी –सदस्य
3 डॉ0 अजेन्द्र कुमार, उपकुलसचिव –संयोजक

प्रस्ताव संख्या 13

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत स्थायी/अनुबन्ध शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर स्ववित्त पोषित नियमावली 2020 लागू न होने पर वेतन भत्ते इत्यादि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या–07 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत स्थायी/अनुबन्ध शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों पर स्ववित्त पोषित नियमावली–2020 दिनांक 01.05.2021 से लागू कर दी गयी थी। इस नियमावली के अनुसार सम्बन्धित शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

दिनांक 06.01.2023 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या–11 में उक्त नियमावली पर पुनः विचार कर निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.05.2021 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों पर लागू नही होगा तथा इस हेतु समिति गठित कर कार्यवाही पूर्ण की जाये।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में समिति द्वारा दी गयी संस्तुति तथा वेतन, भत्ते इत्यादि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट बैठक के समय सदन में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

सदन में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा स्ववित्तपोषित विभागों की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया गया तथा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये:–

1 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभागों/संकायों में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों/कर्मचारियों को वर्तमान में मई माह 2023 से वेतन का निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा।
आवास भत्ता (HRA) – मूल वेतन का 09 प्रतिशत
परिवहन भत्ता (TA) – (रू. 900/1800/3600 एवं स्ववित्तपोषित हेतु लागू महंगाई भत्ते का प्रतिशत)
महंगाई भत्ता (DA) – मूल वेतन का 34 प्रतिशत

2 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभागों/संकायों में छठे वेतन आयोग के अनुसार अनुबन्ध आधार पर वेतनमान में नियुक्त शिक्षकों का वेतन निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा।
आवास भत्ता (HRA) – मूल वेतन का 10 प्रतिशत
परिवहन भत्ता (TA) – (रू.1600 एवं स्ववित्तपोषित हेतु लागू महंगाई भत्ते का प्रतिशत)
महंगाई भत्ता (DA) – मूल वेतन का 170 प्रतिशत

इस प्रस्ताव पर यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित शिक्षक एवं कर्मचारी के द्वारा मान्य न्यायालय से वाद वापस ले लिया जाये।

प्रस्ताव संख्या 14

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में डॉ0 संजील कुमार अवर श्रेणी लिपिक के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के आलोक में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2021 के प्रस्ताव संख्या 15 के अनुसार डॉ0 संजील कुमार को दिनांक 16.03.2021 से अवर श्रेणी लिपिक के पद पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नियमावली 2020 के अनुसार स्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा इनके पूर्व की अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की बैठक दिनांक 27.12.2021 एवं दिनांक 01.04.2022 की बैठक में डॉ0 संजील कुमार को अपना पक्ष रखे जाने हेतु बुलाया गया। डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन को दिनांक 09.04.2022 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि डॉ0 संजील कुमार अपना अंतिम प्रत्यावेदन प्रार्थना–पत्र श्री नरिन्दर सिंह कटारिया की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें तथा गठित समिति द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी निर्णय लिया जायेगा वहीं मान्य होगा।

उपर्युक्त के आलोक में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.03.2023 में डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिनांक 10.02.2023 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया और अपना बयान दर्ज कराया है कि उसे दिनांक 16.12.2013 से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये तथा उसी अनुसार बकाया राशि भी दी जाये। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा पूर्ण विचार–विमर्श के उपरान्त संस्तुति की गयी है कि डॉ0 संजील कुमार का अवर श्रेणी लिपिक (हॉस्टल) के पद पर वेतनमान रु.5830+जी0पी0 1900=7730 में इनको दिनांक 16.12.2013 से वेतन का निर्धारण कर नकद वेतन का लाभ दिया जाये तथा बकाया राशि का भी भुगतान किया जाये।

इस प्रस्ताव पर वित्त अधिकारी द्वारा सदन में डॉ0 संजील कुमार के प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण रखा गया तथा मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इनके द्वारा मान्य उच्च न्यायालय से वाद इस आशय के साथ वापस लिया गया कि प्रशासन इस सम्बन्ध में निर्णय लेगा। इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन्हें अवर श्रेणी लिपिक पद पर दिनांक 16.12.2013 से काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए दिनांक 16.03.2021 से स्थायी मानते हुए निर्धारित मूलवेतन के अनुसार इन्हें भुगतान किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 15

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर कार्यरत श्री राजीव गुप्ता को कम्प्यूटर ऑपरेटर पदनाम दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर कार्यरत श्री राजीव गुप्ता ने दिनांक 13.10.2021 को उचित माध्यम से प्रेषित पत्र जिसमें इन्होंने अपना पदनाम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदनाम से कम्प्यूटर ऑपरेटर पदनाम में परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2012 के अनुसार डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर/स्टैनो पद को कम्प्यूटर ऑपरेटर (वेतन लेवल 06) पदनाम में परिवर्तित कर दिया गया था। चूंकि वर्तमान में श्री राजीव गुप्ता को द्वितीय एम0ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2020 से वेतन लेवल 06 में वेतन प्राप्त कर रहे है। जिससे इनके पदनाम परिवर्तन करने पर वेतन में कोई अन्तर नही होगा।

उपर्युक्त के आलोक में श्री राजीव गुत्ता का पदनाम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदनाम से कम्प्यूटर ऑपरेटर पदनाम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बैठक के प्रस्ताव संख्या 07 पर लिये गये निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जानी है।

पूरक प्रस्ताव संख्या 01

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत नियुक्त शिक्षकों/शिक्षिकाओं की सेवाओं के स्थायीकरण की स्वीकृति हेतु।

समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों का समविश्वविद्यालय की सेवा में दो वर्ष का पर्यवेक्षा काल पूर्ण होने पर नियमानुसार सेवाओं का स्थायीकरण किया जाना है। उक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विनियम 2018 के बिन्दु संख्या 11.0 के अनुसार नवनियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक के विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/कोर्डिनेटर्स से शिक्षक के शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में गोपनीय आख्या/रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी। सभी शिक्षकों के

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/कोर्डिनेटर्स द्वारा प्रेषित गोपनीय आख्या/रिपोर्ट में शिक्षकों/शिक्षिकाओं के शिक्षण कार्य का अंकन अच्छा दिया गया है तथा सेवा में स्थायीकरण किये जाने की संस्तुति की है। अतः निम्न शिक्षकों/शिक्षिकाओं को समविश्वविद्यालय की सेवा में स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :–

क0 सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्ग	कार्यभार ग्रहण तिथि	दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि
1.	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
2.	डॉ0 मुकेश कुमार	प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
3.	डॉ0 राकेश कुमार	प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
4.	डॉ0 राम प्रकाश वर्णी	प्रोफेसर	सामान्य	16.04.2021 (पूर्वाहन)	15.04.2023
5.	डॉ0 कुशवाहा दिलीप कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
6.	डॉ0 विनीत कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
7.	डॉ0 सुनीति आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
8	डॉ0 कल्पना सागर	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	एस.सी.	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
9	डॉ0 चिरंजीव बैनर्जी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
10	डॉ0 राम चन्द्र मेघवाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	एस.सी.	01.04.2021 (पूर्वाहन)	31.03.2023
11	डॉ0 सुनील कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	दिव्यांग	03.04.2021 (पूर्वाहन)	02.04.2023
12	डॉ0 रीना वर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ई.डब्लू. एस.	05.04.2021 (पूर्वाहन)	04.04.2023
13	श्री अरुण सिंह अवाना	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ओ.बी.सी.	17.04.2021 (पूर्वाहन)	16.04.2023
14	डॉ0 वरुण बक्शी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सामान्य	19.04.2021 (पूर्वाहन)	18.04.2023

उपरोक्तानुसार शिक्षकों का स्थायीकरण स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 **समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचारी की सेवाओं के स्थायीकरण की स्वीकृति हेतु।**

समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अर्न्तगत नियुक्त शिक्षकेतर कर्मचारी के सेवा में दो वर्ष का परीविक्षा काल पूर्ण होने पर नियमानुसार सेवाओं का स्थायीकरण किया जाना है। अतः निम्न शिक्षकेतर कर्मचारी को समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सेवा में स्थायीकरण किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत :–

क0 सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्ग	कार्यभार ग्रहण तिथि	दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि
1.	डॉ0 संजील कुमार	एल.डी.सी. (हॉस्टल)	सामान्य	16.03.2021 (पूर्वाहन)	15.03.2023

उपरोक्तानुसार डॉ0 संजील कुमार का स्थायीकरण स्वीकर किया गया है।

पूरक प्रस्ताव संख्या 03 **डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा, प्रोफेसर को दिनांक 01.04.2022 से 21.01.2023 तक की अवधि के वेतन एवं भत्तों इत्यादि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को दिनांक 20.12.2021 से FR-56J (ii) के अन्तर्गत दिये गये समय–पूर्व सेवानिवृत्ति (Pre Mature Retirement) को प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 06.01.2023 को हुई बैठक के पूरक प्रस्ताव संख्या 01 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णयानुसार डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा की समय–पूर्व सेवानिवृत्ति (Pre Mature Retirement) नियम विरुद्ध होने के कारण दी गयी समय–पूर्व सेवानिवृत्ति को समाप्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय के अनुपालन में डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग दिनांक 21.01.2023 को डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा, प्रोफेसर को दिनांक 01.04.2022 से 21.01.2023 तक की अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विधिक राय तथा FR-56 (JJ) (i) के अनुसार उक्त अवधि का वेतन देय है। यह भी उल्लेखित है कि डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को समय–पूर्व सेवानिवृत्ति (Pre Mature Retirement) देने पर 03 माह (दिसम्बर, 2021, जनवरी एवं फरवरी 2022) के अग्रिम वेतन का भुगतान कर दिया गया था।

अतः डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा, प्रोफेसर को दिनांक 01.04.2022 से 21.01.2023 तक की अवधि के वेतन एवं भत्तों इत्यादि का भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकिया की स्वीकृति पर वित्त अधिकारी महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि यू0जी0सी0 से धन प्राप्त होने के उपरान्त डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को भुगतान किया जाये।

पूरक प्रस्ताव संख्या 04 **समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बी0लिब व एम0लिब कोर्स प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 06.01.2023 हुई बैठक के पूरक प्रस्ताव संख्या 04 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था कि समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बी0लिब व एम0लिब कोर्स को सत्र 2023–24 से आरम्भ किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण विवरण सहित प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपर्युक्त के आलोक में बी0लिब व एम0लिब कोर्स को सत्र 2023–24 से आरम्भ किये प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विवरण सहित प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में भविष्य में विचार किया जायेगा।

पूरक प्रस्ताव संख्या 05 **गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय विभाग तथा कन्या गुरुकुल, 60 राजपुर रोड़, देहरादून के गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में विलय के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

डॉ0 दीनानाथ शर्मा, मुख्याधिष्ठाता/कन्सर्ड ऑथोरिटी, आर्य विद्या सभा, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 06.05.2023 को प्रेषित पत्र में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय विभाग तथा कन्या गुरुकुल, 60 राजपुर रोड़, देहरादून के गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में विलय करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि इस विलय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.03.2023 को प्रेषित पत्र में विलय के सम्बन्ध में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) से सम्पर्क किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में डॉ0 दीनानाथ शर्मा द्वारा विलय के सम्बन्ध में एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया। डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि सम्बन्धित प्रस्ताव स्वागत योग्य है। उक्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रुप से सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रकिया की रुपरेखा बनाये जाने हेतु एक समिति गठित कर कार्यवाही आरम्भ कर ली जाये तथा समिति की रिपोर्ट को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

पूरक प्रस्ताव संख्या 06 प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा द्वारा मान्य अध्यक्ष जी की अनुमति से निम्न प्रस्ताव सदन में रखा गया।

समविश्वविद्यालय में रिक्रूटमेन्ट रुल्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अनुसार बनाया जाये। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समविश्वविद्यालय में रिक्रूटमेन्ट रुल्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित Model Cadre Recruitment Rules for Non-Teaching Posts of Central Universities के अनुसार ही लागू किये जाने हैं।

शान्ति पाठ के पश्चात् इस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई। ।

कुलसचिव